(171)

निग0-4227/2018/ सतना/ भू राज

(278)

न्यायालय श्रीमान् मण्डलाधिकारी महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक

कोर्ट सीना म0प्र0

1- गोपाली दाहिया पिता सजीवन दाहिया

2- मानिकलाल पिता लल्ला दाहिया आयु 40 वर्ष

3- मोहनलाल पिता लल्ला दाहिया आयु 38 वर्ष

4- सुन्दरलाल पिता लल्ला दाहिया आयु 35 वर्ष

5- मुस0बेबी बेवा फूलचन्द्र दाहिया आयु 65 वर्ष

6- सुक्खा पिता सजीवन दाहिया आयु 75 वर्ष

7- महेश पिता गोपाली दाहिया आयु 42 वर्ष

8- गुलाब पिता गोपाली दाहिया आयु 38 वर्ष

सभी निवासी ग्राम भरजुना खुर्द वृत्त हाटी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0...निगराकारगण

बनाम

रानी दुबे पत्नी संतोष कुमार ब्राम्हण आयु 33 वर्ष निवासी निरंजनपुर वृत्त हाटी तहसील रघुराजनगर जिला सतना.........................गैरनिगराकार

अधि0श्री रामानुज सोंधिया द्वारा पेश।
07.7.18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 विरूद्ध राजस्व निरीक्षक वृत्त हाटी तहसील रघुराजनगर के रा0प्र0क0- 36ए12/16-17 मे पारित आदेश दिनांक 18/05/17

मान्यवर,

निगराकारगण निम्न आधारो पर उक्त निगरानी माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर विनयी है:-

यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गैरनिगराकार/आवेदिका ने आराजी नं0-30/1, 30/2, 30/3 रकवा क्रमशः 0.202हे0, 0.198हे0, 0.202हे0 कुल किता

--2

मोहनलाल
महेश
गुलाब

(171)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्र निग.4227 / 2018 / भू–रा. / सतना जिला–सतना

गोपाली कोटवार / रानी दुवे

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामानुज सोंधिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त हाटी, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 36 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 18.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	